

108x1

संख्या-2/18-2-94-251331/86

11

ओपीआर
सचिव, लघु उद्योग,
उत्तर प्रदेश शासन।

तथा से,

उद्योग निदेशक, उ०प्र०,
कानपुर।

उद्योग अनुभाग-2

लेखानु दिनांक 10 फरवरी, 1994

विषय: औद्योगिक आस्थानों के भूखण्डों/बोर्डों के हस्तान्तरण की प्रक्रिया।
नहो तथा,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-6909/18-2-251331/86, दिनांक 26 नवम्बर, 1987 के अन्तर्गत लघु उद्योगों के हस्तान्तरण का निर्देश हुआ है कि उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित किये गये क्रमशः औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों के भूखण्डों/बोर्डों के हस्तान्तरण में एकस्यता लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

①

हस्तान्तरण के लिये मार्ग निर्देश:-

- 1. ऐसे भूखण्डों के हस्तान्तरण पर कोई हस्तान्तरण लेवी नहीं ली जायेगी, जिन पर शासकीय द्वारा भूखण्ड के क्षेत्रफल के कम से कम 30 प्रतिशत क्षेत्र में वर्षगात्र निर्मित कर इकाई को स्थापना कर ली गई हो और इकाई का तो जाँचरत हो अथवा कम से कम दो वर्षों तक निरन्तर व्यवसायिक उत्पादन में हो रही हो।
- 2. यदि अपठित भूखण्ड में 30 प्रतिशत से कम भाग पर वर्षगात्र निर्मित कर इकाई स्थापित की गई हो और इकाई काँचरत हो अथवा कम से कम 2 वर्षों तक जाँचरत नहीं हो तो ऐसे भूखण्डों के हस्तान्तरण में भूखण्ड के निर्मित 30 प्रतिशत भाग को छोड़ते हुये शेष भाग को हस्तान्तरण लेवी ली जायेगी।
- 3. उपरोक्त 1 व 2 के अतिरिक्त शेष भूखण्डों के हस्तान्तरण में भूखण्डों के बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत को दर से हस्तान्तरण शुल्क लिया जायेगा।

14. भूखण्ड के हस्तांतरण पर लगे वाले उद्यमी को भूखण्ड के हस्तांतरण के समय सभी पुराने देयों का व्याज सहित भुगतान करना होगा।

पुनर्गठन

जो भी निम्न आ स्थानों में भूखण्डों में यदि किसी इकाई का पुनर्गठन किया जाता है तो निम्न प्रकार के पुनर्गठन के मामलों में हस्तांतरण ग्राहक नहीं लया जायेगा:-

1. यदि आवंटन रकम स्वामी के पक्ष में हो तो:-

1.5. साक्षेदारी कर्म में सम्मिलित होने की दशा में:-

यदि रकम स्वामी किसी साक्षेदार कर्म में सम्मिलित हो ता है ऐसी साक्षेदार कर्म में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का भाग आवंटनी द्वारा अपने पास रखा जाता है और अगले 5 वर्षों में इस भाग में 40 प्रतिशत से कम न करने की सहमति देता है।

1.6. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के गठन की दशा में:-

आवंटनी द्वारा स्वामी के 50 प्रतिशत अंश पूंजी अपने पास रखी जाती है और अगले 5 वर्षों में कम्पनी को अंश पूंजी में अपना भाग 50 प्रतिशत से कम न करने की सहमति दी जाती है।

1.7. प्रस्तावित साक्षेदारी कर्म का प्रोमोटर होने की दशा में:-

आवंटनी द्वारा आवंटन के एक वर्ष की अवधि में यदि किसी नई साक्षेदारी कर्म का गठन किया जाता है और ऐसी कर्म में लाभ-हानि में अपना भाग 35 प्रतिशत रखा जाता है और अगले 5 वर्षों में अपना भाग 35 प्रतिशत से कम न करने की सहमति देता है।

1.8. प्रोमोटर को हैसियत में किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी गठन की दशा में:-

यदि आवंटनी द्वारा आवंटन के एक वर्ष की अवधि में प्रोमोटर को हैसियत में किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का गठन किया जाता है और ऐसी गठित कम्पनी के हिस्सा पूंजी का 35 प्रतिशत भाग अपने पास रखा जाता है और अगले 5 वर्षों में उक्त 35 प्रतिशत अंश पूंजी कम नहीं की जाती है।

ऐसी प्रोमोटर की हैसियत से आर्टी द्वारा लिमिटेड

कम्पनी का एक वर्ष का लेखा खाता है:-

1. इस लेखा खाते में कम्पनी के द्वारा आर्टी द्वारा आर्टी के 3 वर्ष की अवधि में ही किया जाता है और,

2. इस लेखा खाते में कम्पनी के द्वारा ऐसी नव गठित कम्पनी के अंशद्वारा जो 15 प्रतिशत भाग अपने पास रखा जाता है और अगले 3 वर्षों में उक्त 15 प्रतिशत को अंशद्वारा आर्टी द्वारा वापस किया जाता है।

3. यदि आर्टी प्रोमोटर एक कम्पनी है तो ऐसी कम्पनी द्वारा नव गठित कम्पनी का 26 प्रतिशत अंशद्वारा के रूप में अपने पास रखा जाता है और अगले 3 वर्षों में कम नहीं किया जाता है।

4. यदि नव गठित कम्पनी एक पुरानी कम्पनी के सम्मिलित अंशद्वारा द्वारा कम्पनी को मुग्तान की हुई पूंजी का 5 प्रतिशत अंशद्वारा अपने पास रखा जाता है और आगामी 3 वर्षों में कम नहीं किया जाता है।

5. यदि आर्टी एक से अधिक हों तो और उनके द्वारा संयुक्त रूप से आर्टी प्राप्त किया गया हो तो लिमिटेड कम्पनी में सम्मिलित रूप में 15 प्रतिशत अंशद्वारा होनी चाहिये और आगामी 3 वर्षों में उनके द्वारा उक्त अंशद्वारा कम न की जाय।

साझेदारी

यदि आर्टी साझेदारों कर्म के नाम में है तो:-

पुनर्गठन:

यदि कर्म के मूल भागीदारों द्वारा पुनर्गठन की हुई कर्म में 50 प्रतिशत लाभ-हानि में रखा जाता है और अगले 5 वर्षों में उक्त 50 प्रतिशत लाभ कम नहीं किया जाता है और न ही इन भागीदारों में से कोई अगले 5 वर्षों में कर्म से अलग होता है।

1. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के परिवर्तन की दशा में: यदि साझेदारी कर्म प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित हो जाती है तो ऐसी कम्पनी के भुगतान के दूरे अंशधरों में कर्म के पूरे भागीदारों द्वारा कम्पनी के अंशधरों का 51 प्रतिशत भाग अपने पास रखा जाता है और अगले 3 वर्षों में इसे कम नहीं किया जाता है।

2. केवल भागीदारों द्वारा कर्म से हटने की दशा में: यदि एक या अधिक भागीदार कर्म से अलग होते हैं और यदि कर्म में कोई नया भागीदार सम्मिलित नहीं किया जाता है।

उसी समूह की कम्पनियों को हस्तान्तरण की दशा में: 1. यदि कम्पनी द्वारा आवंटित भूखण्ड को अपनी प्रधान कम्पनी अपनी होल्डिंग अथवा सविस्डियरी कम्पनी को हस्तान्तरित किया जाता है और ऐसे मामलों में आवंटन आवंटन के 3 वर्षों के अन्दर ही किया जाता है।

2. यदि आवंटित भूखण्ड को किसी कम्पनी द्वारा अपने ग्रुप की दूसरी कम्पनी को हस्तान्तरित किया जाता है और हस्तान्तरित करने वाली कम्पनी एवं दूसरी कम्पनी में सम्मिलित अंशधारकों द्वारा कम्पनियों के अंशधरों के 51 प्रतिशत भाग अपने पास रखा जाता है और हस्तान्तरण का प्रायः आवंटन के 3 वर्षों के अन्दर दिया जाता है।

परिवार के सदस्यों के वर्ग में हस्तान्तरण की दशा में:

1. परिवार के सदस्यों अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा बनाई गई साझेदारी कर्म:

यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण आवंटनी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों जैसे पति/पत्नी/बच्चे/सगे भाई/बहनें/सगी बहनें/नाती-पोता/दामाद/पुत्र बंधु आदि को किया जाता है अथवा इनमें से सभी या किसी एक को कर्म में भागीदार के रूप में किया जाता है।

2. यदि कर्म में उल्लिखित पारिवारिक सदस्यों के साथ कर्म में किसी-बाहरी व्यक्तियों को भागीदार बनाया जाता है तो ऐसे

18। प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के परिवर्तन की दशा में: यदि साझेदारी कर्म प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित हो जाती है तो ऐसी कम्पनी के भुगतान के दूरे अंशधरों में कर्म के पूरे भागीदारों द्वारा कम्पनी के अंशधरों का 5 प्रतिशत भाग अपने पास रखा जाता है और अगले 5 वर्षों में इसे कम नहीं किया जाता है।

19। केवल भागीदारों द्वारा कर्म से हटने की दशा में: यदि एक या अधिक भागीदार कर्म से अलग होते हैं और यदि कर्म में कोई नया भागीदार सम्मिलित नहीं किया जाता है।

उसी समूह की कम्पनियों को हस्तान्तरण की दशा में:

20। यदि कम्पनी द्वारा आवंटित भूखण्ड को अपनी प्रधान कम्पनी अपनी होल्डिंग अथवा सप्लाइयरी कम्पनी को हस्तान्तरित किया जाता है और ऐसे मामलों में आवेदन आवंटन के 3 वर्षों के अन्दर ही किया जाता है।

21। यदि आवंटित भूखण्ड को किसी कम्पनी द्वारा अपने ग्रुप की दूसरी कम्पनी को हस्तान्तरित किया जाता है और हस्तान्तरित करने वाली कम्पनी एवं दूसरी कम्पनी में सम्मिलित अंशधारकों द्वारा कम्पनियों के अंशधरों के 5 प्रतिशत भाग अपने पास रखा जाता है और हस्तान्तरण का प्रार्थना पत्र आवंटन के 3 वर्षों के अन्दर दिया जाता है।

परिवार के सदस्यों के पक्ष में हस्तान्तरण की दशा में:

22। परिवार के सदस्यों अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा बनाई गई साझेदारी कर्म:

यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण आवंटनी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों जैसे पति/पत्नी/बच्चे/सगे भाई/बहिन/सगी बहनें/ताती-पोता/दामाद/सुत्र बंधू आदि को किया जाता है अथवा इनमें से सभी या किसी एक को कर्म में भागीदार के रूप में किया जाता है।

23। यदि कर्म में उल्लिखित पारिवारिक सदस्यों के साथ कर्म में किसी बाहरी व्यक्तियों को भागीदार बनाया जाता है तो ऐसे

बाहरी व्यक्तियों का कर्म के लागू-हानि में हिस्सा 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और परिवार के जो सदस्य कर्म में भागीदार हैं वे अपना हिस्सा हस्तान्तरण के दिनांक से अगले 5 वर्षों में 51 प्रतिशत से कम नहीं करेंगे और न ही कर्म से अलग होंगे।

किसी कानूनी कार्यवाही के अन्तर्गत हस्तान्तरण की दशा में:

यदि आवंटित ग्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदल जाती है अथवा एक कम्पनी या दूसरी कम्पनी में विलय हो जाता है अथवा किसी कानूनी कार्यवाही के अधीन उत्तराधिकार के अन्तर्गत भूखण्ड का हस्तान्तरण होता है।

औद्योगिक आस्थानों में निरस्त किये गये भूखण्डों के पुनर्जीवीकरण तथा निरस्त किये गये भूखण्डों के पुनर्जीवीकरण के साथ-साथ हस्तान्तरण को प्रशिक्षण संबंधी मामलों निदेशानुसार;

पुनर्जीवीकरण:

1. यदि आवंटित भूखण्ड उपर दिये गये परिभाषा के अनुसार रिक्त भूखण्ड की श्रेणी में आता है अर्थात् यदि भूखण्ड के कर्म से कम 30 प्रतिशत भाग पर वर्तमान निर्मित करके उत्पादन किया गया है और इजाजत से कम 2 वर्ष तक उत्पादन में रही है तो ऐसे भूखण्ड का पुनर्जीवीकरण प्राधिकृत समिति द्वारा पुरानी दस्तखत पर कर दिया जाएगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि पुनर्जीवीकरण कर दिया जाने के पूर्व आधुनी द्वारा समस्त राजस्व लेखों का भुगतान कर दिया जाय तथा भूखण्ड पर पुनर्जीवीकरण के दिनांक से 6 माह की अवधि में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाय। यदि आधुनी द्वारा इन बातों का पालन नहीं किया जाता है तो आवंटित पुनः निरस्त किया जा सकता है।
2. यदि आधुनी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर केवल गृहकार्यकारी कार्य ही है, भूखण्ड के क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से भी कम भाग

पर निर्माण का किया गया और कोई इकाई स्थापित नहीं की गई है और न ही किसी प्रकार का उत्पादन किया गया है, तो ऐसे भूखण्डों का पुनर्जीवीकरण औद्योगिक आस्थान के वर्तमान बाजार दर पर आवंटन के समय प्रचलित दर के अन्तर के 50 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में भुगतान प्राप्त करने की शर्त के साथ किया जायेगा साथ ही आवंटनी द्वारा भूखण्ड के समस्त देयों का भुगतान भी विभाग को करना होगा एवं भूखण्ड में उद्योग स्थापना के लिये एक समय आरम्भ आवंटनी द्वारा प्रेषित की जायेगी जिसके अनुसार आवंटनी द्वारा पुनर्जीवीकरण भूखण्ड में उद्योग स्थापना की जायेगी।

यदि भूखण्डों की मर्यादा एवं वर्तमान दरों में कोई अन्तर नहीं है तो ऐसे मामलों में पुनर्जीवीकरण के संबंध में मन्थरगामी औद्योगिक आस्थानों के भूखण्ड में ₹01,00 एक स्क्वियर फुट वर्गमीटर तथा दृढगामी औद्योगिक आस्थानों में ₹05,00 फुट वर्ग स्क्वियर फुट वर्गमीटर के हिसाब से प्रीमियम आवंटनी से वार्ज किया जायेगा।

पुनर्जीवीकरण एवं पुनर्जीवीकरण के साथ-साथ हस्तान्तरण :

यदि निरस्त किये गये भूखण्डों का आवंटनी के प्रार्थना-पत्र पर पुनर्जीवीकरण तथा पुनर्जीवीकरण के साथ-साथ ही हस्तान्तरण भी किया जाता है तो ऐसे मामलों में भूखण्ड की वर्तमान दरों का 75 प्रतिशत की धराराशि 50 प्रतिशत भूखण्डों की दरों के अन्तर की धराराशि भी संकर लेवी प्रीमियम के रूप में ली जायेगी जो कि किसी भी दशा में हस्तान्तरण लेवी से कम नहीं होगी। साथ ही आवंटनी द्वारा भूखण्ड के संबंध में समस्त अलग-अलग देयों का भुगतान भी विभाग को करना होगा।

भबदीया,

ए/ओ 0वी 0आर/ सचिव।

संख्या-2111/18-2-94-251331/86 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध संकेत प्रेषित किने द्वारा अपने विभाग/निगम से संबंधित अधिकारियों से उक्त-आसनादेश में निर्दिष्ट दिशा में अनुपालन सुनिश्चित करावे:-

- 1. मुख्य सचिव, गरीब उद्योग विभाग, उ०प्र०शासन को प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम को निर्देशान हेतु।
- 2. सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन/राजस्व परिषद को समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशान हेतु।
- 3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०शासन को ग्रामीण अभियान सेवा विभाग के अधिभाषी अभियंताओं के निर्देशान हेतु।
- 4. सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग, उ०प्र०शासन।

आज्ञा से,

ओ पी ओ आर
सचिव।

संख्या-2121/18-2-94-251331/86 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम।
- 4- मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियान सेवा, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- समस्त परिक्षेत्रीय अवर/संयुक्त उद्योग निदेशक, उ०प्र०।
- 6- समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योगिक केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

ओ पी ओ आर
सचिव।